रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 381] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 1975/आश्विन 2, 1897

No. 381] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 1975/ASVINA 2, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

Income-tax

New Delhi, the 24th September 1975

S.O. 534(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely.—

1. These rules may be called the Income-tax (Third Amendment) Rules, 1975.

2. In rule 2A of the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules),—

(a) for sub-clause (i) of clause (c), the following sub-clause shall be substituted, and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of April, 1975, namely :—

"(i) where such residential accommodation is situate at Agra, Ahmedabad, Allahabad, Amritsar, Bangalore, Bombay, Calcutta, Cochin, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Indore, Jabalpur, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Madras, Madurai, Nagpur, Patna, Poona, Sholapur, Srinagar, Surat, Trivandrum, Vadodara (Baroda) or Varanasi (Banaras), one-fifth of the amount of salary due to the assessee in respect of the relevant period, and";

(b) in clause (d), for the letters and figures "Rs. 300", the letters and figures "Rs. 400" shall be substituted, and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of April, 1975.

3. After rule 2A of the principal rules, the following rule shall be inserted, and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 1975, namely:—

"2B. *Cases and circumstances for the purposes of the proviso to section* 10(5)(*ii*).— The amount exempt under item (a) of sub-clause (ii) of clause (5) of section 10 in respect of the value of the travel concession or assistance received by or due to the individual from his employer for himself and his family, in connection with his proceeding on leave to any place in India, may exceed the value of the travel concession or the assistance which would have been received by or due to him in connection with his proceeding to his home district in India on leave in the cases and under the circumstances specified below, namely:—

(a) where the individual is entitled to such travel concession or assistance once in a block of four calendar years commencing from the calendar year 1974, the value of such travel concession or assistance availed of in each such block;

(b) where the individual is entitled to such travel concession or assistance more than once in any such block of four calendar years, the value of the travel concession or assistance first availed of by him in each such block;

(c) where such travel concession or assistance is not availed of by the individual during any such block of four calendar years, the value of the travel concession or assistance, if any, first availed of by the individual during the first calendar year of the immediately succeeding block of four calendar years.

Explanation.—The value of the travel concession or assistance referred to in clause (c) shall not be taken into account in determining the eligibility of the value of the travel concession or assistance under clause (a) or, as the case may be, clause (b) of this rule.".

4. After rule 18B of the principal rules, the following rule shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1976, namely:

"*Form of audit report for claiming deduction under section* 80J –

18C. The report of audit of the accounts of an assessee, other than a company or a co-operative society, which is required to be furnished under sub-section (6A) of section 80J shall be in Form No. 10D.".

5. In Appendix II to the principal rules, after Form No. 10C, the following Form shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1976, namely:—

"FORM NO. 10D

(*See* rule 18C)

Audit Report under section 80J *of the Income-tax Act* 1961

*I/We have examined the balance-sheet of the industrial undertaking styled** and belonging to M/s. (Permanent Account Number.....) as at..... and the profit and loss account of the said industrial undertaking for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained at the head office at and branches at.....

*I/We have obtained all the information and explanations which to the best of my/our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In my/our opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches of

the industrial undertaking aforesaid visited by *me/us so far as appears from *my/our examination of books, and proper returns adequate for the purposes of audit have been received from branches not visited by *me/us, subject to the comments given below:--

In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, the said accounts give a true and fair view—

(i) in the case of the balance-sheet, of the state of affairs of the above-named industrial undertaking as at.....; and

(ii) in the case of the profit and loss account, of the profit or loss of the industrial undertaking for the accounting year ending on.....

Place..... Signed.....

Date..... †Accountant

1. *Delete, whichever is not applicable.

2. **Here give name and address.

3. †This report is to be given by--

(i) a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or

(ii) any person who, in relation to any State, is by virtue of the provisions in sub-section (2) of section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), entitled to be appointed to act as an auditor of companies registered in that State.

NOTE.—Where any of the matters stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons therefor.".

[No. 1092/F. No. 142(36)/75-TPL]

O. P. BHARDWAJ,
Secretary, Central Board of Direct Taxes.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1975

का० आ० 534(अ).--केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 265 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. इन नियमों का नाम आय-कर (तृतीय संशोधन) नियम, 1975 है।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2क में,--

(क) खंड (ग) के उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा और वह 1 अप्रैल, 1975 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

"(i) जहां ऐसे निवास की जगह आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बंगलौर, मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद, इन्दौर, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मद्रास, मदुराई, नागपुर, पटना, पूना, शोलापुर,

श्रीनगर, सूरत, त्रिवेन्द्रम वडोदरा (बड़ौदा) या वाराणसी (बनारस) में स्थित है वहां निर्धारिती का सुसगत अवधि को बाबत देय वेतन के पंचम अंश के बराबर हो, और",

(ख) खंड (ब) में, '300 रुपए" अंकों और शब्द के स्थान पर "400 रुपए" अंक और शब्द रखे जायेंगे, और 1 अप्रैल, 1975 से प्रतिस्थापित समझे जायेंगे ।

3 मूल नियमों के नियम 2क के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा और 1 अप्रैल 1975 से जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात् —

2ख धारा 10(5)(ii) के प्रयोजन के लिये मामले और परिस्थितियां—धारा 10 के खंड 5 के उपखंड (ii) की मद (क) के अधीन किसी ऐसी यात्रा रियायत या सहायता का मूल्य जो किसी व्यष्टि को भारत में किसी भी स्थान के लिए छुट्टी पर जाने के संबंध में अपने या अपने परिवार के लिए अपने नियोजक से प्राप्त हो या नियोजक द्वारा देय हो, ऐसी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य की बाबत प्राप्त छूट से अधिक हो सकती है जो ऐसे व्यष्टि को भारत में अपने घर वाले जिले के लिए छुट्टी पर जाने के संबंध में विनिर्दिष्ट मामलों और परिस्थितियों में प्राप्त होती या उसे शोध्य होती, अर्थात् —

(क) जहां व्यष्टि सन् 1974 के कलैण्डर वर्ष के आरम्भ होने वाले चार कलैण्डर वर्षों के समूह में एक बार ऐसी यात्रा रियायत या सहायता का हकदार है वहां प्रत्येक ऐसे समूह में ली गई यात्रा रियायत या सहायता का मूल्य

(ख) जहां व्यष्टि ऐसे चार कलैण्डर वर्षों के समूह में एक बार ऐसी यात्रा रियायत या सहायता का हकदार है, वहां प्रत्येक ऐसे समूह में उसके द्वारा पहली बार ली गई यात्रा रियायत या सहायता का मूल्य

(ग) जहां किसी व्यष्टि द्वारा ऐसे चार कलैण्डर वर्षों के किसी समूह के दौरान यात्रा रियायत या सहायता न ली गई हो वहां ठीक पश्चात्वर्ती चार कलैण्डर वर्षों के समूह के प्रथम कलैण्डर वर्ष के दौरान व्यष्टि द्वारा प्रथम बार ली गई यात्रा रियायत या सहायता का यदि कोई हो मूल्य ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के यथास्थिति खंड (ग) या खंड (क) के अधीन यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य की उपलभ्यता का अवधारण करने में खंड (ग) में निर्दिष्ट यात्रा रियायत या सहायता का मूल्य गणना में नहीं लिया जाएगा ।

4. मूल नियमों के नियम 18ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम 1 अप्रैल, 1976 से जोड़ा जाएगा, अर्थात —

"धारा 80ञ के अधीन कटौती का दावा करने के लिये सपरीक्षा प्रतिवेदन का प्ररूप—

18ग. कम्पनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न किसी निर्धारिती के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट का प्रतिवेदन, जिसका दिया जाना धारा 80ञ की उपधारा (6क) के अधीन अपेक्षित है, प्ररूप संख्या 10घ में होगा ।

5. मूल नियमों के उपाबन्ध 2 में प्ररूप संख्या 10ग के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप संख्या 10घ

(नियम 18ग देखिए)

आयकर अधिनियम, 1861 की धारा 80ञ्ञ के अन्तर्गत संपरीक्षा रिपोर्ट

मैंने/हमने*——————————————————**नाम के और मैसर्स——————————————————— के स्वामित्वाधीन (स्थायी लेखा संख्या——————————————) औद्योगिक उपक्रम के,————तारीख को यथ स्थिति, तुलन-पत्र का तथा उक्त तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उक्त उपक्रम के लाभ और हानि लेखा का परीक्षण किया है। ये——————————————स्थित मुख्यालय और——————————————स्थित शाखाओं में रखे गये लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

मैंने/हमने* वह सारी जानकारी और सभी स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो कि मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान/विश्वास से संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे। मेरी *हमारी राय में, उपरोक्त औद्योगिक उपक्रम के मुख्यालय में और शाखाओं में, वहां तक जहां तक कि मुझे/हमें लेखा बहियों से प्रतीत होता है, समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, तथा मैं/हम जिन शाखाओं में नहीं गए हैं वहां से संपरीक्षा के प्रयोजनार्थ यथेष्ट समुचित विवरणियां प्राप्त हो गई हैं। इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां दृष्टव्य हैं :—

मेरी/हमारी* राय में और मेरी/हमारी* सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे/हमें* दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखाओं में—

(i) वहां तक जहां तक कि तुलन-पत्र का संबंध है, ऊपर नामित औद्योगिक उपक्रम की तारीख——————————को यथास्थित दशा की; और

(ii) लाभ और हानि लेखा की दशा में,——————————वर्ष को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रम के लाभ या हानि की,

सत्य और उचित स्थिति दी गई है।

स्थान ——————— हस्ताक्षर———————

तारीख ——————— ††लेखापाल

1. *जो लागू न होता हो उसे काट दीजिए।

2. **यहां नाम और पता भरिए

3. ††यह रिपोर्ट—

(i) चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थ में चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा दी जाएगी; या

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाएगी जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबन्धों के आधार पर किसी राज्य के संबंध में, उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कम्पनियों के संपरी. क के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का हकदार है ।

टिप्पण.—जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी विषय का उत्तर नकारात्मक हो या सशर्त हो तो रिपोर्ट में उसके कारण दिए जायेंगे ।"

[1092/फा० सं० 142(36)/75—टी०पी० एल०]

ओ० पी० भारद्वाज,

सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर-बोर्ड ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975